भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1538
जिसका उत्तर 12.03.2025 को दिया जाना है
ब्लाइंड स्पॉट की संख्या में कमी

1538. श्री अरूण सिंह:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
श्री जग्गेश:
श्री ईरण्ण कडाडी

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिह्नित किए गए 13,795 में से शेष बचे ब्लाइंड स्पॉट को स्थायी रूप से सुधारने के कार्य को पूरा करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास ब्लाइंड स्पॉट की पहचान करने में जन भागीदारी के लिए कोई तंत्र है;
(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ब्लाइंड स्पॉट की पहचान करने और वास्तविक समय आधारित सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए एआई-आधारित निगरानी या सेंसर आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) खतरनाक सड़क खंडों के संबंध में कुल कितनी शिकायतों / सुझावों का समाधान किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर कतिपय स्थानों को दुर्घटनाओं की कुछ निश्चित संख्या के आधार पर ब्लैक स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल हैं। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट पर तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि सड़क चिह्नाकन, साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनेटर, अनधिकृत मध्य में खुले हुए जगह को बंद करना, यातायात को नियंत्रित करने के उपाय आदि। स्थायी सुधार उपायों के रूप में ऐसे ब्लैक स्पॉट पर सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक उपाय भी किए जाते हैं।

ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एक सतत प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहचाने गए कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट्स में से 5,036 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधार पूरा हो चुका है।

(ख) सरकार द्वारा ब्लैकस्पॉट की पहचान संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त दुर्घटना रिपोर्टों के आधार पर की जाती है, जो मृत्यु और गंभीर चोटों से जुड़ी कतिपय संख्या में दुर्घटनाओं के होने के मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.08.2023 की अधिसूचना के अनुसार, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ) और (ड.) इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना की स्थापना सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय संग्राहक के रूप में की गई है। सरकार ने फरवरी, 2024 में ई-डीएआर प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना स्थलों को हटाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिससे वास्तविक समय में सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा सके।
